राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 4(2)(1)/पंचा/रानिआ/09/502 जयपुर, दिनांकः– 29.3.11

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) समस्त।

विषयः– नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 एवं 193 के अन्तर्गत कार्यवाही।

महोदय,

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं प्ररूप 4घ में उनकी संतानों, उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोष सिद्धि के मामलों, उनके एवं उनके आश्रितों की अचल संपत्ति आदि की सूचना घोषणा के रूप में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती हैं। इसी प्रकार नगरपालिका चुनावों में भी नाम निर्देशन पत्र में की जाने वाली घोषणाओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उनकी संतानों के संबंध में, उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि के मामलों आदि की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूपों में देना अनिवार्य है। इसके अलावा भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं के प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा, उनके विरूद्ध देयताओं, शैक्षणिक योग्यता, लंबित आपराधिक प्रकरणों की सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप पृथक से भी निर्धारित किये है जिनमें भी अभ्यर्थियों द्वारा घोषणायें/कथन किये जाते हैं।

उक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव लडने के आशय से रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष यदि असत्य घोषणा की गई है या तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया गया है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 के अन्तर्गत उसे मिथ्या साक्ष्य मानते हुए उक्त संहिता की धारा 191 व 193 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने परिपत्र क्रमांकः एफ. 7(2)(4)/पंचा/रानिआ/99/7358 दिनांक 26.04.2000 के द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये थे।

अभी हाल ही में संपन्न चुनावों में कई शिकायतें इस आश्य की प्राप्त हुई है कि किन्ही अभ्यर्थियों ने सही तथ्यों को छुपाते हुए या गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए चुनाव में भाग लिया व निर्वाचित भी हो गये। ऐसी शिकायतों के प्रकरणों में कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पंचायतीराज विभाग के पत्र संख्या एफ 3 ( ) जांच/ग्राविप/परिपत्र/स.आ./07/2916 दिनांक 23.08.2007 एवं पत्र सं. एफ 3 ( ) जांच/ग्राविप/परिपत्र/स.आ./07/3708 दिनांक 18.10.2007, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 02.04.07 के अनुसरण में सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजा गया है, का संदर्भ देते हुए यह अवगत कराया है कि चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं के मामलों में जांच कार्यवाही नही की जा सकती और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के ऐसे मामलों में जांच भी नही की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 02.04.07 द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। चुनाव पूर्व की अयोग्यता संबंधी प्रकरण पंचायतीराज अधिनियम की धारा 43 एवं राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 के तहत चुनाव याचिका के जरिये ही जिला अदालत के माध्यम से निर्णित हो सकते है। ऐसे प्रकरण राज्य सरकार तय नहीं कर सकती।

माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा दिनांक 02.04.07 को पारित निर्णय पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 39 एवं इसके साथ पठित राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 23

PTO

के अन्तर्गत राज्य सरकार व इसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थियों के विरूद्व चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं की जांच कर उसके आधार पर धारा 39 के तहत उन्हें हटाये जाने से संबंधित विषय पर हैं जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त परिपत्र दिनांक 26.04.2000 का विषय इससे भिन्न हैं। उक्त परिपत्र दिनांक 26.04.2000 रिटनिंग अधिकारी के समक्ष दिए गए मिथ्या साक्ष्य के आपराधिक कृत्य और उसके लिए परिवाद दर्ज कराने संबंधी विषय पर हैं। इस संबंध में विधि विभाग की राय भी प्राप्त की गयी है। विधि विभाग द्वारा दी गई राय निम्न प्रकार है –

96

> "माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चुनाव पूर्व निर्योग्यता के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा धारा 191 का अपराध किया है, तो उसके संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु ऐसी कार्यवाही में उसकी निर्योग्यता के संदर्भ में जांच नहीं की जा सकती, किन्तु यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया है तो तथ्यों की जांच कर फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।"

अतः रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष असत्य तथ्यों को प्रस्तुत कर चुनाव लडने की शिकायतों के मामलों में कार्यवाही हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं कि :–

(i) अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच नहीं की जाए अर्थात् यह जांच नहीं की जाए कि अभ्यर्थी चुनाव पूर्व किसी निर्योग्यता को धारित करता था अथवा नहीं क्योंकि यह बिन्दु चुनाव याचिका में ही शामिल हो सकता हैं।

(ii) रिटर्निग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए जांच का बिन्दु केवल यह हो सकता हैं कि अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं उसके संलग्न प्रस्तुत किये गए अन्य प्ररूपों/शपथपत्रों/घोषणा पत्रों में चुनाव लडने की मंशा से क्या कोई असत्य कथन किया है या तथ्यों को जान बूझ कर छुपाया है और क्या उसने रिटर्निग अधिकारी को मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपराध किया है। इन्ही बिन्दुओं पर जांच की जा सकती है किन्तु ऐसी कार्यवाही में उस अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अपात्रता की जांच नही की जा सकेगी।

(iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का आपराधिक कृत्य कारित करना पाया जाता है तो फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जावें। रिटर्निग अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी ने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है उनके द्वारा अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी शिकायत के संबंध में तथ्यों की जांच से प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत होना पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 व 193 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जावे।

(iv) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि असत्य तथ्य वर्णित करते हुए चुनाव लडने की शिकायतों की जांच पंचायतीराज संस्थाओं के किसी अधिकारी से नहीं करवाई जावे बल्कि रिटर्निग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ही तथ्यों की जांच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे। रिटर्निग अधिकारी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रकरणों में जांच पश्चात कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रकरण पंचायतीराज विभाग या स्वायत्त शासन विभाग को संदर्भित किए है जबकि ऐसे मामलों कों राज्य सरकार को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नही है। रिटर्निग अधिकारी के समक्ष यदि कोई मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत हुआ तो उनमें उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है राज्य सरकार को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि 503–504

29.3.11

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर